

# नगर पालिका, चिडावा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHIRAWA/FIRENOC/2025-26/58335

जारी दिनांक: 17-SEP-2025

वैधता दिनांक:

16-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHAKTI SINGH

आवेदक का पता: WARD NO 13 PUJARI COLONY STATION ROAD CHIRAWA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन DALMIA VIDYA MANDIR, 1, WARD NO 13 STATION ROAD, PUJARI COLONY, CHIRAWA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
2. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
3. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रीक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
5. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. रुफटॉप कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
8. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे।
12. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
13. अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि अनुसार होगी। अन्तिम तिथि पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा उसे आवेदक द्वारा पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रीक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशा पत्र निरस्त माना जाएगा।
16. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
17. यह प्रमाण पत्र स्वामित्व व कब्जे का दस्तावेज नहीं है।

  
PRINCIPAL  
DALMIA VIDYA MANDIR  
CHIRAWA

For DALMIA SHIKSHA SAMITI

  
(Secretary)

Signed by: Rohit Kumar Meel  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: CHIRAWA, Rajasthan  
Date: 17/09/2025 11:36:27

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, चिडावा

